न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 294/2020 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2020/00296)

सीताराम पुत्र नेकसे जाति गुर्जर निवासी बडापुरा मोरोली थाना कोतवाली जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.01.2020 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

उपस्थितिः—

1. श्री सुभाषचंद शर्मा वकील अपीलान्ट।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

निर्णय

दिनांकः 18.04.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 28.1.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट सीताराम द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2/75 जो कि दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 1.1.2018 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें उन्होंने रिपोर्ट कमांक 1876 दिनांक 16.5.2018 में अंकित किया कि आवेदक के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0नं0 202/02 धारा 332, 353 आईपीसी सी एस नं0 58 दिनांक 31.3.2003, मु0नं0 24/03 धारा 323, 341 आईपीसी सीएस नं0 24 दिनांक 28.2.2003, मु0नं0 22/07 धारा 147, 149, 283, 436, 353 आईपीसी व 3 पीडीपीपी एक्ट सीएस नं0 280 दिनांक 24.11.2009 में दर्ज है। आवेदक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंपा नहीं की गई। जिसके आधार पर तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.1.2020 से अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा वहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए वहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2020 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 2/75 दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था। जिसको नवीनकृत

18.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किए जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 28.1.2020 के द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं, व इनका उल्लेख अपीलान्ट ने अपने शपथ पत्र में नहीं कर तथ्यों को छिपाया है। उक्त आदेश एकतरफा में अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है। इस आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। कोरोना वायरस के कारण मार्च 2020 में हुये लॉक डॉउन के खुलने के बाद अपीलान्ट दिनांक 3.6.2020 को अपने नवीनीकरण के आवेदन की जानकारी करने जिला कलक्टर कार्यालय गया तो अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। इस पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त की। जानकारी होते ही अदालत हाजा में अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। इसलिऐ अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रिकार्ड के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट कमांक 121 दिनांक 7.1.2019 के आधार पर अपीलान्ट का नवीनीकरण प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 7.1.2019 के संबध में अपीलान्ट से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं लिया गया और ना ही अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का मौका दिया गया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध वर्णित सभी आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने का तथ्य गलत अंकित किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 24/03 अंतर्गत धारा 332,353 ता0हि0 में अपीलान्ट न्यायालय से दोषमुक्त हो चुका है, मुकदमा नम्बर 202/02 अंतर्गत धारा 332,353 में 26 मुलजिमान थे जिसमें बार–बार अन्य मुलजिमान की जमानतें जब्त हो रही थी प्रार्थी अनावश्यक ट्रायल भुगत रहा था तथा न्यायालय की समझाईश पर लोक अदालत की भावना से मुलजिमान द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया था। जिसमें कोई भी सजा अपीलान्ट को नहीं हुई है। अन्य प्रकरण संख्या 22/2007 अंतर्गत धारा 147,149,283,436,353 ता0हि0 व 3 पीडीपीपी एक्ट गुर्जर आरक्षण से संबधित है। राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण के दौरान दर्ज सभी मुकदमें वापिस ले लिये गये हैं। इस प्रकरण में कुछ मुलजिमान के उपस्थित नहीं होने व उनकी जमानत जब्त होने से प्रकरण अभी वापिस लिया जाना है। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 22/07 के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इसकी पुष्टि में वकील अपीलान्ट की ओर से फार्म 3 के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया व तर्क दिया कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रार्थी के विरूद्ध कोई भी नैतिक व सामाजिक अपराध या गम्भीर प्रकृति का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, बल्कि राजनैतिक द्वेषता के कारण दर्ज कराए गए मुकदमें है। अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र 2/75 जारी होने के बाद कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है, तथा ना ही नवीनीकरण

18.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हेतु दिये गये शपथ पत्र में कोई गलत तथ्य अंकित किए हैं। अपीलान्ट धौलपुर का निवासी है, जो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र है। अपीलान्ट को अपने व परिवार की सुरक्षा के लिये हथियार की अत्यन्त आवश्यकता है तथा इसलिऐ ही अनुज्ञापत्र लिया गया था। अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का कोई भी वैद्य व उचित कारण नहीं है। अपीलान्ट अपने अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराने का पूर्ण अधिकार रखता है। अपीलान्ट एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अपीलान्ट का आचरण कभी भी संदिग्ध नहीं रहा है, इसके बावजूद अपीलान्ट के आचरण को संदिग्ध मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपीलान्ट के आर्म्स लाईसेंस को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उसके विरूद्ध आपराधिक मामले लम्बित है, किन्तु जिला कलक्टर धौलपुर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि लोक शांति की सुरक्षा बनाये रखने के लिये किस प्रकार अपीलान्ट के आर्म्स लाईसेंस को निरस्त करना जरूरी था इसलिऐ अपीलान्ट के लाईसेंस को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। वकील अपीलान्ट ने सी.आर.एल.आर. (राज0) 2005 (2) पेज नम्बर 907, 908, 909 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि आयुध लाइसेन्स को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध आपराधिक मामले लम्बित है। वरन यह इंगित करना आवश्यक है कि लोक शान्ति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के लाइसेन्स को रद्द करना जरूरी था। इसी तर्क के समर्थन में 1999 सी.आर.आई. एल.जे पेज 3712 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के आधार पर निरस्त किया गया है, जो कि उपरोक्त नजीरों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2020 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंध मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील दिनांक 29.06.2020 को मियाद बाहर पेश किए जाने के कारण उक्त अपील मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को तय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.06.2020 को जिला कलक्टर कार्यालय में आने पर होने व जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किए जाने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट

16.4.2023
सभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 03.06.2020 से पूर्व में रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरक के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किए जाने से बचना चाहिए। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से उसके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.05.2018 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की गई कि आवेदक के विरूद्ध 3 प्रकरण दर्ज हैं, पूर्व में आवेदक का चाल–चलन आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। आवेदक सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से मारपीट झगड़ा करता है। अतः आवेदक श्री सीताराम पुत्र श्री नेकसे के शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किए जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलान्ट को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत विधिवत नोटिस क्रमांक 992–93 दिनांक 28.05.2018 जारी किया गया। जिसकी अपीलान्ट को विधिवत तामील भारसाधक अधिकारी द्वारा कराई गई। अपीलान्ट की ओर से उक्त नोटिस का किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुनः धारा 17 (3) के तहत द्वितीय नोटिस क्रमांक 5695–96 दिनांक 29.11.2018 को जारी किया गया। इस नोटिस की भी अपीलान्ट को विधिवत तामील करवाई गई। अपीलान्ट की ओर से जो जवाब नोटिस पेश किया गया उसमें सभी मुकदमों में बरी होने तथा प्रार्थी के उपर किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं चलने के आधार पर लाइसेन्स का नवीनीकरण किए जाने का अनुरोध किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब के संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पुनः पत्र क्रमांक 5524 दिनांक 18.12.2018 के द्वारा रिपोर्ट चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र क्रमांक 121 दिनांक 07.01.2019 से पूर्व में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंषा प्रेषित की। अपीलान्ट आवेदक की ओर से जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को पुनः दिनांक 23.12.2019 को अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2020 में पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट, अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

18-5-2021
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विचाराधीन है। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारक द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त दर्ज अभियोगों का इन्द्राज नहीं किया जाना अर्थात आपराधिक तथ्यों को छिपाया जाना शस्त्र अनुज्ञापत्रधारक के आचरण को संदिग्ध बनाता है एवं संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। इस आधार पर अनुज्ञापत्रधारक के द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने हेतु लोकहित में आर्म्स एक्ट की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 02/75 को निरस्त किए जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि स्वयं अपीलान्ट ने यह स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध अभी भी एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 02/75 के नवीनीकरण संबंधी आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन थे। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व गलत शपथ पत्र दिए जाने के आधार पर आचरण संदिग्ध मानते हुए अनुज्ञापत्र निरस्त किया है, जो कि उचित है। जहां तक वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीर सी.आर.एल.आर. (राज0) 2005 (2) पेज नम्बर 907, 908, 909 व 1999 सी.आर.आई. एल.जे पेज 3712 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त प्रकरण के तथ्य नजीरों में वर्णित तथ्यों से भिन्न होने के कारण यह सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के आधार पर ही निरस्त नहीं किया गया है, वरन् गलत शपथ पत्र दिए जाने, आवेदक की ओर से शस्त्र के दुरूपयोग किए जाने की संभावना को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने हेतु लोकहित में उक्त अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.01.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.4.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सॉवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर